


न्यायालय श्रीमान् सहाय महादय म०प्र० राजस्वमण्डल सर्किट कोर्ट रीवा,
जिला रीवाम०प्र०

निरारानी प्रकरण क्रमांक /2012

R. 2588-IIIh

क्रमांक 9096
कोर्ट ऑफ सेशन आज
16-7-12को प्राप्त
कोर्ट
ज. इ. न्यायालय

पांचों की रिपोर्ट
उपलब्ध नहीं
मिलने पर चर्चा
की जायेगी



- 1- श्रीमती शिवकुमारी विधा पत्नी जनकधारी
- 2- राज कुमार तनय जनकधारी महापात्र दानों निवासी ग्राम ड्या
तहसील देवसर जिला सिंराली म०प्र०-----निराकार/आवेकक

नाम

- 1- जगजीवनलाल
- 2- जियालाल
- 3- हीरालाल
- 4- श्यामलाल

तनय रामदुलारे नामदेव सा०ड्या तहसील देवसर
जिला सिंराली म०प्र०----- गैरनिराकारण
अनावेकण

अधिवक्ता श्री स्वतंत्र
"दस्तावेज" द्वारा प्रस्तुत
देवा, दि० 19.7.2012
Amf
19.7.12

निरारानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर क्ले०
महादय सिंराली दिनांक 28-6-12 बाकत
प्रकरणक्र०371/निरारानी/ 2010-11

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता
सन 1959ई०

संदीप मे तथ्य

ग्राम कर्ई तहो देवसर जिला सिंराली की
मूभिन०1205/4/0-809ई० के स्वत्व स्वाम्ति व व आधिपत्यधारी


132

179

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2588-दो/12 जिला-सिंगरौली

श्रीमती शिवकुमारी व अन्य विरुद्ध जगजीवन लाल वर्मा

(1)	(2)	(3)
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>संतोष प्रिया रत्नमाला</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>371/निगरानी/2010/11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>28-6-12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14-3-19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

